न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर–कैम्प दूदू

(पीठासीन अधिकारीः– मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–488/2019/225 (2019/00488)

1. सुलेमान पुत्र हमीरूद्दीन उर्फ अमीरूद्दीन,
2. मासूम पुत्र हमीरूद्दीन उर्फ अमीरूद्दीन,
3. सुबराती पुत्री हमीरूद्दीन उर्फ अमीरूद्दीन,
4. श्रीमती नूरजहां पत्नि मुस्ताक,
5. वसीम पुत्र मुस्ताक,
6. नसीम पुत्री मुस्ताक,
7. संजीदा पुत्री अहमद मुंशी,
8. मोहम्मद रफीक पुत्र अहमद मुंशी,
9. इकबाल पुत्री अहमद मुंशी,
10. दिलशाद पुत्र अहमद मुंशी,
11. गुलबदन पुत्री अहमद मुंशी,
12. हमीदन पुत्री अहमद मुंशी,
13. साहीदन पुत्री अहमद मुंशी,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर ।
2. रंगलाल पुत्र हीरा,
3. अम्बाशंकर पुत्र हीरा,
4. कमला पत्नि रामलाल,
5. कालू पुत्र रामलाल,
6. सांवरा पुत्र रामलाल,
7. मेना पुत्री रामलाल,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

8. गोपाल पुत्र ओनाड़ गुजर, नि0 आमली बारेठ, तह0 फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा ।
9. घनश्याम पुत्र माधूलाल माली, निवासी शेषपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी दिनांक 6.12.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 104/2019.

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 3, 6.
4. रेस्पो0 संख्या 4, 5, 7 से 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 6.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी अपीलांट संख्या 1 के पिता व अलादीन पुत्र अब्दुला ने विक्रय पत्र दिनांक 18.3.1968 को क्रय की थी और खरीद के पश्चात् अपीलांट संख्या 1 के पिता हमीरूद्दीन उर्फ अमीरूद्दीन पुत्र अब्दुला का कब्जा काश्त चला आ रहा था । उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा जबरन कब्जा करने की धमकियां दे रहे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 6.12.2019 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा अप्रार्थीगण को भी पाबंद किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात को अंतरण, बय, रहन नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 का आदेश विरोधाभासी है तथा निर्णय में स्पष्ट फाइण्डिग नहीं दी है । अपीलांट संख्या 1 के पिता हमीरूद्दीन उर्फ अमीरूद्दीन, व अलाद्दीन पुत्र अब्दुला ने वाद वर्णित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.3.1968 को रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के पूर्वजों से क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पो0 ने विक्रय पत्र दिनांक 18.3.1968 व परिशोधन संख्या 26 दिनांक 7.6.1985 को तस्दीक नामांतकरण बाबत् खण्डन नहीं किया है ना ही पुराने रिकार्ड व कब्जे बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । रेस्पो0 संख्या 2 से 7 विक्रेता खातेदार के वारिसान है । विक्रेता द्वारा बेचान के उपरांत विक्रेता खातेदार का हक व कब्जा नहीं माना जा सकता है ना ही उनका कब्जा काश्त है । रेस्पो0 संख्या 2 से 7 विक्रय पत्र से बाधित है । रेस्पो0 का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जबकि मौके पर विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा काश्त अपीलांटस का चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 6.12.2019 अपीलांटस का कब्जा न होने की सीमा तक निरस्त करने के आदेश प्रदान करे और अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे तथा आराजी से बेदखल नही करे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2, 3 व 6 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विवादित आराजियात पर

कभी भी अपीलांटस एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा है । अपीलांटस द्वारा रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर रेस्पो0 द्वारा भी अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया गया है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि विवादित आराजियात अपीलांट संख्या 1 के पिता अमीरूद्दीन उर्फ हमीरूद्दीन पुत्र अब्दुला व अल्लाद्दीन पुत्र अब्दुला ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.3.1968 को रेस्पो0 के पूर्वजों से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था तथा मौके पर काबिज काश्त है किन्तु रेस्पो0 अपीलंटस को बेदखल करने पर आमदा है। इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी विवादित आराजियात का बैचान नहीं किया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात रेस्पो0 के नाम दर्ज होकर मौके पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पो0 का यह भी कथन रहा है कि रेस्पो0 द्वारा भी अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार है जिसके खिलाफ अपीलांट अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । दोनों पक्ष विवादित आराजियात पर अपना–अपना कब्जा काश्त होना बता रहे है जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त के संबंध में भी विवाद है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने केवल मात्र रेस्पो0 को विवादित आराजियात को अंतरण, बय, रहन नहीं करने हेतु पाबंद किया है । अपीलांटस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र एवं कब्जे काश्त के तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में उभयपक्षों के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद है । ऐसी स्थिति में वाद के निस्तारण तक वाद की विषयवस्तु की सुरक्षा हेतु विवादित आराजियात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबंद करना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा उभपक्षकारान को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर